



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 3714 / 12-1 देहरादून,

दिनांक

30

मई, 2020

सेवा में,

Gail India Limited,
8th Floor, Gail Jubilee Tower,
B-35 and 36 Sector-1,
Noida, U.P.

विषय:-

जनपद देहरादून में नेपाली फार्म से मोहकमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के किनारे 8" व्यास की प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 1.111 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु गेल इण्डिया लि0 को दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक-317/X-3-20/2(04) 2020 वन अनुभाग-03 दिनांक-15.05.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जो अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सम्बोधित तथा कार्यालय एवं आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयोंकित प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित 05 शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए निम्न धनराशि लेखा संख्या-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण किया गया हो) उपलब्ध कराने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार निम्न शर्तों के अनुपालन में देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मद	क्षेत्रफल है0 में	घनत्व	ईको क्लास	दर/है0	धनराशि
वनीकरण एवं 5 वर्षों का रखरखाव	500 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	-	-	337200/4	59300.00

शर्त संख्या-1 के अनुसार वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

शर्त संख्या-2 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा।

शर्त संख्या-3 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी हो, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।

शर्त संख्या-4 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 500 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रख रखाव किया जायेगा।

शर्त संख्या-6 के अनुसार प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:-3714 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश, बडकोट एवं लच्छीवाला रेंज को इस आशय से प्रेषित कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयोंकित प्रस्ताव में प्रदत्त प्राधिकार के तहत वर्णित 12 शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति/स्वीकृति की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,

परियोजना का नाम- जनपद देहरादून में नेपालीफार्म से मोहकमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के किनारे 8" व्यास की प्राकृतिक गैस की पाईप लाईन के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु 1.111 है० के एवज में शासनादेश सख्या-317/x-3-20/2(04)/2020 दिनांक -15.05.2020 के अनुसार 500 वर्गों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि का प्राक्कलन एवं 5 वर्षों का अनुरक्षण।

क्र०सं०	कार्य का नाम	नपत/ संख्या	मात्रा	दर	धनराशि (रु०में)
1	2	3	4	5	
प्रथम वर्ष					
1	स्थल का सर्वेक्षण एवं सीमांकन	1	1	153	153.00
2	क्षेत्र में लेण्डाना झाड़ी कटान व फुकान	1	1	5179	5179.00
3	चक प्लाटों का सृजन (एक चैक प्लॉट 2 है० से अधिक का नहीं होगा)	1	1.00	587	587.00
4	दीवाल बन्दी (1 है० में 150 रमी के आधार पर औसतन 100 मी० तक पत्थर दुलान) 94.2 घ०मी० अथवा सीमेंट के पोल, खम्बे एवं तारबाड़ पर व्यय	1	1.00	36572	36572.00
5	गड़ड़ो का संरक्षण चूने की कीमत सहित	2000	2000	29 प्रति सैकड़ा	580.00
6	गड़ड़ा खुदान (30x30x45 सेमी)	2000	2000	10.70	21400.00
7	पौध उगाने पर व्यय प्रथम वर्ष 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित (अनुपातिक व्यय)	2000	2000	11 प्रति सैकड़ा	22000.00
8	रासायनिक खाद व कीटनाशक	2000	2000	52 प्रति सैकड़ा	10400.00
9	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (10 है० को एक यूनिट मानते हुए)	1	1	10000.00	10000.00
10	अन्य व्यय				
	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य।	1	1	1095	1095.00
	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	1	1	2700	2700.00
11	क्रम संख्या-4 घेरबाड़ हेतु खम्बे एवं तार कय किये जाने पर SGST 9%+CGST 9%= 18%	-	-	-	6583.00
				Total	107889.00
				Or Say	107800.00
द्वितीय वर्ष					
1	गड़ड़ो का खद/कीटनाशक मिलाकर भरण (30x30x45 सेमी)	2000	2000	2 प्रति पैघ	4000.00
2	पौधों की लदाई-उत्तराई (10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित)	2200	2200	91 प्रति सैकड़ा	2002.00
3	पौध दुलान 10 प्रतिशत दुलान में क्षति सहित	2200	2200	9.53	20966.00
4	पौध रख-रखाव पर व्यय 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	2000	2000	1.55	3100.00
5	पौध रोपण करना मय थावला बनाई एवं रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित	2000	2000	3.84	7680.00
6	रोपण के पश्चात लेण्डाना झाड़ी कटान एवं फुकान	1	1	2592	2592.00
7	निराई-गुड़ाई मल्लिंग व थावलाबन्दी	-			
	प्रथम बार	2000	2000	3.52 प्रति पैघ	7040.00
	द्वितीय बार	2000	2000	1.53 प्रति पैघ	3060.00
8	देखरेख कार्य (अनुरक्षण कार्य) 09 माह हेतु (कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर)	9 माह	9 माह	8232.00	7408.80
9	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	1	163.00	163.00
10	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव, प्रचार-प्रसार, डॉक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनों का रख-रखाव, ईंधन व संकेत पट बनाकर लगाना आदि)	1	1	2700	2700.00
11	जल मृदा संरक्षण बचाव हेतु लघु अभियांत्रिक कार्य	8 नग	8 नग	15889.75	123118.00
				Total	183829.80

तृतीय वर्ष					
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु माह सितम्बर 2019से मार्च 2020 तक	1	1	8232 प्रति माह	9878.40
2	वीडिंग, मल्टिंग, होइंग (2 बार)	2000	2000	5 प्रति पौध	10000.00
3	झाड़ी कटान	1	1	715.00	715.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	1	163.00	163.00
				Total	20756.40

चतुर्थ वर्ष					
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु माह सितम्बर 2019से मार्च 2020 तक	1	1	8232 प्रति माह	9878.40
2	वीडिंग, मल्टिंग, होइंग (1 बार)	1	1	2	4000.00
3	झाड़ी कटान	1	1	715	715.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	1	163.00	163.00
				Total	14756.40

पंचम वर्ष					
1	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण (एक श्रमिक माली) 12 माह हेतु माह सितम्बर 2019से मार्च 2020 तक	1	1	8232 प्रति माह	9878.40
2	अग्नि सुरक्षा कार्य	1	1	163.00	163.00
					10041.40
					337184.00

वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर

परियाजना के अन्तर्गत 500 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षा रोपण हेतु आवश्यक धनराशि-337200/4=59300.00

प्रति हस्ताक्षरित

उप प्रभारी वनाधिकारी
अधिकांश
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

Estimate Checked for

Rs. 59300.00

Signature of D/Man
Dehradun Forest Division

प्रभारी वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून